वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत-ऑस्ट्रिया की मुलाकात
आर्थिक और सुरक्षा शांति पर चर्चा

नई दिल्ली, देशबन्धु। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री के साथ बैठक में कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में मिलकर योगदान दे सकते हैं। दोनों देशों ने आर्थिक, तकनीकी और रक्षा सहयोग पर चर्चा की। लेकिन वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों देश किस तरह साथ काम करेंगे? भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को लेकर क्या उम्मीद जताई गई? ऑस्ट्रिया की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को क्या दिशा मिल सकती है?

भारत और ऑस्ट्रिया ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीएटे माइनल-राइजिंगर से मुलाकात के दौरान कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात जटिल हैं और



ऐसे समय में दोनों देशों के बीच बातचीत जरूरी है। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने, पहले हुए समझौतों पर प्रगति जानने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने पर जोर दिया गया। जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध गर्मजोशी और मित्रता पर आधारित हैं। उन्होंने अप्रैल में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान बनी सहमति और हुए समझौतों पर आगे बढ़ने की समीक्षा करने का यह अच्छा अवसर है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, विज्ञान एवं तकनीक, जलवायु और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

जयशंकर ने कहा कि दुनिया में इस समय कई जटिल परिस्थितियां हैं। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रिया जैसे मित्र देशों के लिए जरूरी है कि वे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करें और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में योगदान देने के तरीके तलाशें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने पर ऑस्ट्रिया को बधाई भी दी। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का संयुक्त राष्ट्र के मंच पर लंबे समय से सहयोग रहा है और वे इसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच आर्थिक सहयोग अच्छा चल रहा है।

कैंसर की दवा की कीमतों में भारी गिरावट

नई दिल्ली, देशबन्धु। भारत के नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने कैंसर की 543 दवाओं के ब्रांड और उनके पैक साइज़ की अधिकतम एमआरपी में बदलाव किया है। इस नए कदम से कई दवाओं के दाम में 90फीसदी से भी ज़्यादा की गिरावट आई है। हालांकि, जहां जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाएं काफ़ी सस्ती हुई हैं, वहीं कीट्रूडा जैसी कुछ बेहद महंगी और पेटेंटेड ओरिजिनेटर दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन प्रमुख दवाओं के दाम में आई भारी कमी एनपीपीए की नई लिस्ट के मुताबिक, कई कैंसर रोधी दवाओं के दाम काफ़ी कम हुए हैं।

40,421 रुपए की दवाई अब मिलेगी केवल 2,720 में

पैल्बोसिक्लिब: ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 125 एमजी दवा 'पालबोप्रो' की कीमत 40,421 रुपए से घटाकर 2,720 रुपए कर दी गई है (लगभग 93.3 फीसदी की कटौती)। वहीं 'ISOGEN' (100 एमजी) के दाम में 91.6 फीसदी की कमी आई है। थियोटेपा: कीमोथेरेपी दवा 'SAMTEPA' (100 एमजी) की कीमत 80,072 से घटकर 7,150 रुपए प्रति वायल हो गई है। यानी एक वायल पर सीधे 72,922 रुपए की बचत होगी। एनास्ट्रोज़ोल: 'वोमाज़ोल' (1 एमजी) की कीमत 458.85 रुपए से घटकर मात्र 39.52 रुपए रह गई है। इसके अलावा Dasatinib, Lenvatinib, Abiraterone और Olaparib जैसी दवाओं की कीमतों में भी भारी कटौती दर्ज की गई है। महंगी और पेटेंटेड दवाएं अब भी पहुंच से बाहर कीमतें नियंत्रित करने के बावजूद कई ब्लॉकबस्टर दवाएं सस्ती नहीं हुई हैं।

इजरायल संसदीय चुनाव में फंसा पेंच
नेतन्याहू गठबंधन ने बनाई बढ़त लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं

तेल अवीव, (एजेंसियां)। इजरायल में मंगलवार को हुए संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने मजबूत वापसी करनी शुरू कर दी है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और नेतन्याहू गठबंधन 56 सीटों पर बढ़त बना चुकी है जबकि सरकार बनाने के लिए 61 सीटें चाहिए। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को पहले 23-25 सीटें दी गई थीं लेकिन ये 27 सीटों पर बढ़त बना चुकी हैं। जबकि उनकी सबसे बड़ी विरोधी यशार पार्टी की सीटें कम होने लगी हैं। यशार पार्टी घटकर 21 सीटों तक पहुंच चुकी है। जैसे जैसे वोटों की गिनती बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नेतन्याहू की स्थिति मजबूत होती जा रही है। इजरायल में सरकार बनाने के लिए 61 सीटें चाहिए। हालांकि अंतिम परिणाम अलग हो सकते हैं। इस चुनाव के बाद अब अरब दलों की भूमिका काफी अहम हो जाएगी।

इजरायल में 84 फीसदी वोटों की गिनती-इजरायल में 84.5 प्रतिशत वोटों की गिनती होने के बाद नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बढ़त बनाए रखी है। केंद्रीय चुनाव समिति ने आंशिक नतीजे जारी किए हैं, जिसमें नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गुट को 54 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं, विपक्षी नेता गादी आइसेनकोट के गुट को 49 सीटें मिलती बताई गई हैं। अरब नेतृत्व वाली जाइंट लिस्ट और राआम को 17 सीटें मिलने की बात कही गई है। हालांकि, यह नतीजे आंशिक हैं और वोटों की गिनती बढ़ने पर इसमें बदलाव आ सकता है।

OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT PITHORA DISTT.-MAHASAMUND (C.G)

E-Procurement Tender Notice (1st Call)

Letter no./1325/N.P./PWD/2026-27 Pithora, Dated 27/10/2026

Online bids in three envelop system are invited for the following construction works / supply works up to date 18/11/2026 at 17.30 Hours

S. N.	System Tender no.	Name of work	Probable Amount of Contract (in Lakh)	Earnest Money (in RS.)	Class of Contractor
1	202831	CONSTRUCTION OF KHEL MAIDAN AT WARD NO.11, NAGAR PANCHAYAT PITHORA [CGPWD BUILDING SOR-10.06. 2026, CGPWD ROAD SOR-15.06.2026 & ELECTRICAL SOR 10.06.2026]	Rs. 245.71	Rs. 1.50 Lac	Class-B & above

The details can be viewed and downloaded online directly from Government of Chhattisgarh e-Procurement System Portal (https://cge-procurement.gov.in) from 10:30 Hours (IST) on wards. 28.10.2026 at

For more details on the tender and bidding process, you may please visit the above mentioned portal.

CHIEF MUNICIPAL OFFICER
NAGAR PANCHAYAT PITHORA

M.P. STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
State IT Centre, 47-A, Arera Hills, Bhopal-462011 (M.P.)
www.mpsedc.mp.gov.in
Tel. : 0755-2518300, marketing@mpsedc.com

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

MPSEDC invites online proposals for following bid on MP Tender :-

S. No.	Tender No.	NIT
1	MPSEDC/ SITC/2026/715	RFP for Annual Maintenance Contract for Civil, Plumbing and Sanitary Work of Common area of IT Park campus & MPSEDC Buildings at Bargi Hills, Jabalpur (M.P.)

For detailed scope of work, terms and conditions please refer to the respective bid document available on MP Tender Portal **(www.mptenders.gov.in).**

M.P. Madhyam/128822/2026 **EXECUTIVE DIRECTOR**

TENDER INVITING NOTICE FOR CONSTRUCTION OF IRON SHED FOR SECONDARY WING ASSEMBLY GROUND AT ARMY PUBLIC SCHOOL NO 2, JABALPUR

1. Sealed tenders are invited from experience and financially sound and reputed firms/supplier for "Construction of Iron Shed for Secondary Wing Assembly Ground at Army Public School No 2, Jabalpur" :-

Ser No	Scope of Work	A/U	Qty	Total Cost (Incl GST)
(a)	Fabrication of Iron Shed with following specifications:- - Shed Size: 65' x 135' = 8775 sqft. Centre Height: 20 feet. - Side Slope Height: 15 feet. - Shed Type: Hut shape without Centre Pillars. - Pillar Type: 18" x 18" Square Pillars made with 1‰" x 1‰" x 1‰"x1 ‰" angles. - Roof: 0.5mm Profile Sheet (TATA/Jindal). - Drainage System (05 points) on both sides. - 25mm rods to be used in base pillars. - Base pillar depth size 6 feet and above. - Electrical Points with 10 LED Flood Lights (150 watts + 12 Fans (52 inches) - Red Oxide and Black Paint on all Iron Pipes, Plates, Nut and Bolds. - Including Labour Charges. Note: Plate Based Nut Bolt System to be used for future shifting.	Job	01	
	Total Amount (Incl GST)	₹		

2. Tender details are available on School website. (www.aps2jabalpur.org)
3. Address: Army Public School No 2, JAK RIF RC, Jabalpur (MP)-482001.
4. Contact No:0761-2678715 (Civil), Mob 9406760480, 6959 (Mil).

निविदा/नियुक्ति/जाहिरात

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शशिकला वरकडे पिता मुन्ना लाल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम झिंझना पोस्ट बम्हनी तहसील निवास जिला मण्डला म.प्र. की निवासी हूँ। मेरे समस्त शासकीय अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में मेरा नाम शशिकला वरकडे (SHASHIKALA WARKADE) पति लखन सिंह वरकडे (LAKHAN SINGH WARKADE) दर्ज है, लेकिन आधार कार्ड में मेरा का नाम शशि (SHASHI) पिता मुन्ना लाल (MUNNA LAL) दर्ज हो गया है। मैं अपने समस्त शासकीय अशासकीय दस्तावेजो एवं आधार कार्ड में नाम शशिकला वरकडे (SHASHIKALA WARKADE) पति लखन सिंह वरकडे (LAKHAN SINGH WARKADE) करवाना चाहता हूँ। प्रकाशन के बाद से मुझे शशिकला वरकडे (SHASHIKALA WARKADE) पति लखन सिंह वरकडे (LAKHAN SINGH WARKADE) के नाम से ही जाना व पहचाना व पढा लिखा जाये।

पुराना नाम - शशि
(SHASHI)
पिता मुन्नालाल
(MUNNA LAL)
नया नाम - शशिकला वरकडे
(SHASHIKALA WARKADE)
पति लखन सिंह वरकडे
(LAKHAN SINGH WARKADE)

र.नं. 2800

न्यायालय नायब तहसीलदार गोरखपुर जिला-जबलपुर

रा.प्र.क्र./1456/अ-6/2026-27
जबलपुर, दिनांक 22/10/26

आम इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक (क्रेता) श्रीमती निवेदिता बैनर्जी पति स्व. अजय कुमार बैनर्जी निवासी 2407, कृष्णा हाईटस, नर्मदा रोड पोलीपाथर ग्राम पोलीपाथर नं.बं. 164 प.ह.नं. 08 रा.नि. मंडल गोरखपुर स्थित ख.नं. 44/3 रकवा 513 हे./वर्गफुट भूमि जो आवेदक के द्वारा विक्रेता जितेन्द्र व्यास से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/06/20 से क्रय किया जाना लेख किया है। तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 9/11/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जारी दिनांक- 22/10/2026
सुनवाई दिनांक- 09/11/2026

नायब तहसीलदार गोरखपुर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जबलपुर

र.नं. 2806

CHANGE OF NAME

It is for general information that I, Pradeep Kumar S/o Chetram Gothariya, R/o Near Durga Manch, Ghusi Tola, Gram Bargaon, Bijadandi F.V, Mandla, Madhya Pradesh-481666, declare that name of mine and my wife has been wrongly written as Pradeep Kumar Goudhariya and Yashoda Gouthariya in my minor Daughter Sneha Gouthariya aged 14 years In her School Record. The actual name of mine and my Wife is Pradeep Kumar and Yashoda, respectively which may be amended accordingly.

कृति

CHANGE OF NAME

I Roli Verma D/o Late Mahesh Verma and W/o Divyansh Bhola R/o House No-172, Samdariya Green City Madhotal, Near Krishi Upaj Mandi, Ward 30 PT Deendayal Upadhyay Ward, Jabalpur City, PO-Jabalpur City, Dist - Jabalpur, Madhya Pradesh - 482002, have changed my name to Anjali Bhola

कृति

CHANGE OF NAME

I Padmavati W/o Yangtesh Kori R/o Sarvodaya Nagar Ranital, Vivekanand Ward, VTC - Ranital, PO - Agasaud, Dist - Jabalpur, Madhya Pradesh - 482002, have changed my name to Padma Kori

कृति

In The Court of XXII Civil Judge Class-I, District Court, Jabalpur
Presiding Officer: पलक श्रीवास्तव
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक
(MJC SUC/ 0000078/ 2026)
अंजू बाल्मीक.............आवेदक
Vs
आम जनता .... अनावेदक
Process Id-2026
पेशी दिनांक 05/11/2026

प्रेषिती
(1) आम जनता पता- जबलपुर म.प्र.
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अंजू बाल्मीक पता- म.नं. 73/के, त्रिपुरी वार्ड ग्राम सगड़ा क्रेशर बस्ती, तिलवाराघाष्ट रोड, पोस्ट तिलवाराघाट जबलपुर (म.प्र.) ने मृतक मुन्नालाल बाल्मीक निवासी-म.नं. 73/के, त्रिपुरी वार्ड गणेश नगर जबलपुर (म.प्र.) की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) शारदा चौक मेडिकल रोड जबलपुर एवं पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय साउथ सिविल लाईन जबलपुर में जमा उपादान की राशि 8,25,374, सामूहिक बीमा क्लेम की राशि 1,18,420 एवं सातवे वेतनमान के एरियर्स की राशि 60,652 रू. कुल राशि लगभग 10, 04,446 रू. की प्राप्ति हेतु राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 05 नवम्बर 2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 05 नवम्बर 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 27 अक्टूबर 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

टिप्पणी- प्रकाशन एवं उपस्थिति हेतु नोटिस के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने बावत की छायाप्रति संलग्न है।

कृपया ध्यान दें- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

(पलक श्रीवास्तव)
22 वें व्यवहार न्यायाधीश
(वरिष्ठ खण्ड) जबलपुर (म.प्र)

र.नं. 2803

आम इश्तहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार के पिता श्री नारायण प्रसाद पिता- हरप्रसाद जाति पटैल (कुर्मी) के नाम पर ग्राम केथरा, पटवारी हलका केथरा, तह. कटंगी स्थित खसरा नं. 140, 147/1, 121/1 रकवा क्रमशः 2.15 हे., 0.400 हे., 0.400हे. तथा ग्राम केथरा प.ह. केथरा, तह. कटंगी, जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 94 एंव 217 रकवा क्रमशः 0.0500हे. एंव 0. 0600हे. राजस्व अभिलेखो मे भूमि स्वामी हक मे दर्ज है। मेरे पक्षकार के पिता श्री नारायण प्रसाद पटैल की 82 वर्ष की वृद्ध अवास्था के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मेरे पक्षकार के पिता को सुध-बुध नही रहती है मेरे पक्षकार के पिता अपनी संपत्ति के बारे में एवं अपने जीवन के बारे में फैसले लेने में पूर्ण रूप से सक्षम नही है। इस लिये कोई भी व्यक्ति विशेष संस्था निकाये मेरे पक्षकार के पिता के नाम से दर्ज भूमियो की खरीद-फरोखत विक्रय पत्र, दान पत्र, वसियत, बंधक मेरे पक्षकार के पिता से निस्पादित नही कराये अन्यथा ऐसा कोई भी दस्तावेज जो मेरे पक्षकार के पिता से उपरोक्त भूमियो के संबंध में निस्पादित कराया जायेगा वह शून्य प्रभावी होकर अमान्य होगा।

दिनांक ....

सुरेन्द्र तिवारी अधिवक्ता
कार्यालय- एस-2 द्वितीय तल
जिला अधिवक्ता संघ भवन,
जिला सत्र न्यायालय परिसर
जबलपुर म.प्र.
मो. 9584221150

र.नं. 2809

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मझौली, जिला-सीधी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./174अ-6(अ)2025-26
मझौली, दिनांकः-16.10.2026

1. पुष्पराज सिंह पिता श्यामराज सिंह निवासी ग्राम शास्त्री नगर कलेक्ट्रेट के पीछे सीधी जिला-सीधी (म.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

1. म. प्र. शासन

...........अनावेदक

2. रेखा सिंह पति राम सिंह परिहार निवासी ग्राम सीधी तहसील गोपद बनास जिला-सीधी (म.प्र.)
3. ददोल राम पिता जागेश्वर राम ब्रा. सा. मझौली तहसील मझौली जिला-सीधी म.प्र.।

.... बटांकधारी

आम-सूचना

4. एतद् द्वारा बटांकधारी क्र 02 रेखा सिंह पति राम सिंह परिहार निवासी ग्राम सीधी तहसील गोपद बनास जिला-सीधी (म.प्र.) एवं बटांकधारी क्र 03 ददोल राम पिता जागेश्वर राम ब्रा. सा. मझौली तहसील मझौली जिला-सीधी म.प्र. को सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा ग्राम अकला की भूमि क्रमांक 245 रकबा 1.2100 हे. के राजस्व नक्शे में रकबे के अनुसार छोटा होने से त्रुटि सुधार वावत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 115/75 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। बटांकधारी 02 एवं 03 को इस न्यायालय में उपस्थिति होने हेतु नोटिस जारी की गई किन्तु बटांकधारी 02 एवं 03 उपस्थिति नही हुए हैं जिस संबंध में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कर बटांकधारी 02 एवं 03 को अंतिम अवसर दिया जाता है।

अतः बटांकधारी 02 एवं 03 को सूचित किया जाता है कि नियत पेशी दिनांक 16.11.2026 के पूर्व अपना पक्ष समर्थन रख सकते हैं। बाद म्याद प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नही किया जावेगा। विधि संगत आदेश पारित कर दिया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मझौली जिला सीधी (म.प्र.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मझौली, जिला-सीधी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0077अ-6(अ)2026-27
मझौली, दिनांकः-22.09.2026

1. रामकरण साकेत पिता मनफेर साकेत निवासी ग्राम-सिलवार, तहसील-मड़वास, जिला-सीधी (म.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन
2. परागदास साकेत पिता झरिवारी साकेत
3. सुखरजुआ बेवा सरजो साकेत
4. सुरेश पिता स्व. सरजो साकेत
5. राजेश पिता स्व. सरजो साकेत
6. चौवी पति मुरली साकेत
7. शंकर पिता मुरली साकेत
8. रामबहोर साकेत पिता मटरी साकेत
9. छोटेलाल साकेत पिता मटरी साकेत

सभी निवासी ग्राम-सिलवार, तहसील-मडवास, जिला-सीधी (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

आम-सूचना

एतद् द्वारा अनावेदक क्रमांक 08 रामबहोर साकेत पिता मटरी साकेत एवं अनावेवक क्रमांक 09 छोटेलाल साकेत पिता मटरी साकेत दोनो निवासी ग्राम सिलवार, तहसील-मडवास, जिला-सीधी (म.प्र.) हाल मुकाम ग्राम-सजमानी, तहसील-गोपद बनास, जिला-सीधी (म.प्र.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक के द्वारा ग्राम-सिलवार के भूमि के संबंध में आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 115 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की के तहत इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक क्रमांक 08 एवं 09 को इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु अनावेदक क्रमांक 08 एवं 09 उपस्थित नहीं हुये है। जिस संबंध में दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कर अनावेदक क्रमांक 08 एवं 09 को एक अंतिम अवसर दिया जाता है।

अतः अनावेदक क्रमांक 08 एवं 09 को सूचित किया जाता है कि नियत पेशी दिनांक 25.11.2026 के पूर्व अपना पक्ष समर्थन रख सकते हैं। बाद म्याद प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नही किया जावेना। विधि संगत आदेश पारित कर दिया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मझौली जिला सीधी (म.प्र.)

न्यायालय तहसीलदार छिन्दवाड़ा (ग्रामीण)

इश्तहार

रा.प्र.क्रं./0312/अ-6/2026-27
मौजा - सारना

चूंकि आवेदक मनीष साहू पिता चिरोंजीलाल साहू निवासी सारना तहसील व जिला छिन्दवाडा द्वारा मौजा सारना पटवारी हल्का नंबर .... राजस्व निरीक्षक मण्डल सारना वृत्त-2 में स्थित भूमि खसरा नंबर 66, 172 रकवा 0.049, 0.016 हेक्टेयर भूमि के सहखातेदार विध्या पिता शांति की दिनांक 02.05.2021 को मृत्यु होने से वारसान हक के आधार पर नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र लोकसेवा केन्द्र छिन्दवाड़ा का पंजीयन क्रमांक आरएस/455/0760/7510/2026 दिनांक 07.10.2026 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

विंध्या पिता शांति
पुत्र - 1 मनीष साहू
पुत्री - कोई नही

एतद् द्वारा इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त आवेदन पर उन्हे को आपत्ति हो या दावा हो तो स्वय या किसी अधिकृत अधिवक्ता अथवा मान्य अभिकर्ता के उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत इस न्यायालय में पेशी 2/11/26 तक प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि तथा स्थान पर उपस्थित नहीं हो पाने की अथवा दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर पाने दशा में अथवा पश्चात में प्राप्त होने वाले किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/10/26 को मेरे हस्ताक्षर मय न्यायालय की पदमुद्रा के जारी किया गया।

पदमुद्राः

तहसीलदार
छिन्दवाड़ा नगर

टाटा को 'आपराधिक तरीके' से बर्बाद किया जा रहा: राहुल

नई दिल्ली, देशबन्धु। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टाटा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि टाटा को 'आपराधिक तरीके से बर्बाद' किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वे इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में देश के प्रमुख कारोबारियों को निशाने पर लिया। उन्होंने सवाल किया, 'आप कब तक चुप रहेंगे? तब तक, जब तक वे आप पर भी कब्जा नहीं कर लेते?'

राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय इसे एक खेल की तरह देख रहे हैं। कांग्रेस नेता ने उद्योग जगत के बड़े चेहरों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनमें अपनी बात खुलकर रखने का साहस नहीं है। उन्होंने कहा, 'आपमें साहस नहीं है लेकिन हममें है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वे इन कथित अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। राहुल गांधी के बयान का मुख्य निशाना देश के बड़े कारोबारी और उद्योगपति रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वे कब तक चुप रहेंगे और इस मुद्दे पर अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के बयान में टाटा को कथित तौर पर बर्बाद किए जाने के आरोपों के समर्थन में विस्तृत तथ्य या मामले का स्पष्ट ब्योरा नहीं दिया गया। इस महीने की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।

pnb पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा दक्षिण दिल्ली
4वां तल, 7, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066 ईमेल: cs4168@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, की बिक्री नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को **"जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है"**, तथा **"जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार के बकाये की वसूली के लिए की जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि (ईएमडी) संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में दर्शानुसार होगी।

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नामः / खाते का नामः / उधारकर्ता/गारंटर/ खाते का नाम और पताः	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(A) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (B) बकाया राशि (C) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (D) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1.	(पूर्व में ए-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली) **मैसर्स मनेरी आइसक्रीम (उधारकर्ता)** ई-94, जीएफ, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 मेसर्स मनेरी आइसक्रीम, प्लॉट नंबर-42, औद्योगिक क्षेत्र फूड पार्क, मनेरी जिला मंडला (एमपी)- 481885 सुश्री अनामिका मित्तल, (मालिक) एच नंबर- ई-94, जीएफ, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048	साम्यिक बंधक/पंजीकृत बंधक परियोजना भूमि एवं भवन पर, क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. 42, फूड पार्क-मंडला, मनेरी, जिला मंडला में स्थित (मेसर्स मनेरी आइसक्रीम के नाम पर एक नामित फूड पार्क जबलपुर, मध्य प्रदेश, उपरोक्त इकाई में प्लांट एवं मशीनरी के साथ संपत्ती आईडी PUNBABA37922768 अक्षांशः 23.100513 देशांतरः 80.208999	A) 09.05.2022 B) Rs. 544.47 लाख + ब्याज + प्रभार इत्यादि C) 14.12.2022 D) भौतिक	A) रु. 303.41 लाख B) रु. 30.35 लाख ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 16.11.2026 C) रु. 1,00,000	17.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	संपत्ति की बिक्री पर कोई एसए लंबित/रोक नहीं है	श्री ओ.पी. भालोटिया 9453035426

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (**https://baanknet.com**) ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई-400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220, द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल **(1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in** पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ सभी मामलों में जारी किया गया है (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें।

दिनांक : **28.10.2026**, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक